न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध अपील सं. : **20/2018**

रामनारायण व अन्य बनाम प्रताप व अन्य

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश-1 नियम-10 सि.प्र.सं.

उपस्थित-
1. श्री कैलाश चन्द गुप्ता, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, प्रत्यर्थी सं. 1 से 10 के विद्वान अधिवक्ता,
3. श्री कुलदीप सिंह हाड़ा, प्रत्यर्थी सं. 11 से 14 के विद्वान अधिवक्ता
4. प्रत्यर्थी संख्या-15 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

आ दे श **दिनांक 02.04.2026**

1. इस आदेश के माध्यम से अपीलार्थीगण की ओर से दिनांक 16.02.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-1 नियम-10 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण की ओर से अपने उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी क्रम-8 रामधन पुत्र रामनारायण एवं अपीलार्थीगण ने संयुक्त रूप से जवाब पेश किया है किन्तु अपील में सहवन भूल से रामधन पुत्र रामनारायण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी रामधन अपीलार्थी संख्या-1 रामनारायण का पुत्र एवं अपीलार्थी संख्या-4 कैलाश का भाई है, जो अपीलार्थी बनने के लिये तत्पर है। अप्रार्थी रामधन को अपीलार्थी बनाये जाने से अपील की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। अन्त में निवेदन किया गया कि रामधन पुत्र रामनारायण को अपीलार्थी क्रम-5 बनाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

Authenticated Document

3. प्रार्थना-पत्र की प्रति प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को दिलवाई गई, जिनके द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

4. प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से अपनी मौखिक बहस के दौरान प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी क्रम-8 रामधन एवं अपीलार्थीगण ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत किया था किन्तु अपील याचिका में सहवन भूल से रामधन को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वह अपीलार्थी संख्या-1 रामनारायण का पुत्र एवं अपीलार्थी संख्या-4 कैलाश का भाई है, जिसे पक्षकार बनाया जाना चाहिये। उनका कहना है कि अप्रार्थी रामधन को अपीलार्थी बनाये जाने से अपील की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। अन्त में प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. जबकि इसके विपरीत प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने अपनी मौखिक बहस के दौरान उक्त तर्को का प्रबल विरोध करते हुये यह व्यक्त किया कि विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 23.03.2018 के विरूद्ध यह अपील याचिका दिनांक 11.04.2018 को प्रस्तुत की गई थी, जबकि हस्तगत प्रार्थना-पत्र लगभग 08 वर्ष की दीर्घावधि से प्रकरण में विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में मूल वाद विद्वान विचारण न्यायालय में लम्बित है तथा आदेश-1 नियम-10 सि.प्र.सं. के प्रावधान मूल वाद पर लागू होते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभय-पक्ष के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया तथा

Authenticated Document

पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील के प्रत्यर्थी संख्या-1 लगायत-10 की ओर से प्रत्यर्थी संख्या-11 लगायत-15 एवं अपीलार्थी संख्या-1 लगायत-4 तथा रामधन के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का एक वाद विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का एक प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2018 को स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील याचिका दिनांक 11.04.2018 को प्रस्तुत की गई है जबकि हस्तगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है तथ इस अप्रत्याशित विलम्ब का कोई युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आधार होना भी नहीं दर्शाया गया है। वैसे भी आदेश-1 नियम-10 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मुख्य रूप से विचारणीय न्यायालयों में लम्बित वादों तक ही सीमित है। स्वीकृत रूप से पक्षकारान के मध्य अभी भी मूल वाद विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होना बताया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण विधिसम्मत रूप से विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

8. यहां यह भी उल्लेख किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यह प्रकरण इस न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है तथा प्रकरण वर्तमान में बहस के प्रक्रम पर नियत है, जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाना भी अपेक्षित है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

9. फलतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र

Authenticated Document

दिनांकित 16.02.2026 अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(संदीप कुमार शर्मा)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

10. आदेश आज दिनांक 02 अप्रेल, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

THAKUR SINGH

"Authenticate Document"
Digitally signed by THAKUR SINGH
Date: 2026.04.02 16:52:06 +0530

Authenticated Document